जमीन अधिग्रहण पर सीबीआइ जांच से इन्कार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर : हाई कोर्ट ने रायगढ़ जिले के बजरमुड़ा गांव में 2,300 करोड़ रुपये के अतिरिक्त मुआवजा घोटाले की जांच के लिए दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया।

याचिकाकर्ता अधिवक्ता दुर्गेश शर्मा ने सीबीआइ, ईडी जांच, एफआइआर दर्ज करने और 300 करोड़ की वसूली की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की इस मामले में सीधी व्यक्तिगत रुचि है, इसलिए यह वास्तविक जनहित याचिका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पीआइएल का उद्देश्य केवल सार्वजनिक हित होना चाहिए, न कि निजी लाभ या प्रसिद्धि। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता की सुरक्षा राशि भी जब्त करने का आदेश दिया। हालांकि, प्रभावित पक्षों को अपने अधिकार पाने की स्वतंत्रता दी गई है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से प्रार्थना की थी कि पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जाए।

उन्होंने आरोप लगाया कि कई अधिकारियों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ता ने कई बार शिकायतें कीं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। राज्य सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह जनहित याचिका नहीं है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और

न्यायमूर्ति बीडी गुरु की खंडपीठ ने कहा कि पीआइएल का उद्देश्य केवल वास्तविक जनहित होना चाहिए। कोर्ट ने याचिका को गैर-गंभीर मानते हुए खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता की सुरक्षा राशि जब्त करने का आदेश दिया।

पति की बेरोजगारी पर ताने मारना मानसिक क्रूरता : हाई कोर्ट

हाई कोर्ट ने एक पारिवारिक विवाद में पति की अपील को स्वीकार करते हुए 28 वर्ष पुराने विवाह को समाप्त कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पत्नी द्वारा पति को कोविड-19 महामारी के दौरान बेरोजगार कहकर ताने देना और 2020 से बिना कारण अलग रहना मानसिक क्रूरता और स्वेच्छा से त्याग की श्रेणी में आता है। भिलाई निवासी अनिल सोनमनी, जो पेशे से वकील हैं, ने 1996 में विवाह किया था। उनके दो बच्चे हैं, एक 19 वर्ष की बेटी और 16 वर्ष का बेटा। पति का आरोप है कि पत्नी ने प्राचार्य पद मिलने के बाद अपना व्यवहार बदल लिया, जिससे विवाद बढ़ने लगे। कोविड महामारी के दौरान, जब अदालतें बंद थीं और आय प्रभावित हुई, पत्नी ने पति को बेरोजगार कहकर ताने दिए।

16 सितंबर 2020 को पत्नी अपनी बेटी को लेकर मायके चली गई और बेटे को छोड़ दिया। उसने एक पत्र भी छोड़ा, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि वह अब पति और बेटे से कोई संबंध नहीं रखना चाहती। पति ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। 2022 में, उन्होंने दुर्ग फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी, जिसे 25 अक्टूबर 2023 को खारिज कर दिया गया।

एनआइए स्पेशल पब्लिक प्रासिक्यूटर का कार्यकाल बढ़ा

हाई कोर्ट में नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआइए) के स्पेशल पब्लिक प्रासिक्यूटर बी. गोपा कुमार का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बाद एनआइए ने आदेश जारी करते हुए देशभर के आठ हाई कोर्ट और स्पेशल कोर्ट में नियुक्त पब्लिक प्रासिक्यूटर का कार्यकाल विस्तार दिया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में

बी गोपा कुमार

भी बी. गोपा कुमार एनआइए मामलों की पैरवी आगे जारी रखेंगे। कार्यकाल विस्तार से हाई कोर्ट में लंबित मामलों की सुनवाई प्रभावित नहीं होगी और सुरक्षा से जुड़े मामलों में प्रक्रिया मजबूत होने की उम्मीद है।